

प्रेषक,

भाष्कर पाण्डेय,

उप सचिव।

30प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवम् विभागाध्यक्ष

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14

लखनऊ: दिनांक- 31 जुलाई, 2020

विषय-अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उन्नीस चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4504 बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 14.07.2020 एवं पत्रांक-4693 बी0जी0/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 16.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 19 नवनिर्माण की चालू परियोजनाओं हेतु सूची की तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित कुल लागत रू0 725.21 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित अवशेष धनराशि रू0 3,24,65,000.00 (रू0 तीन करोड़ चौबीस लाख पैसठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
- 3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।
- 4- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 5- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।
- 6- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।
- 7- परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेंगे। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 8- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- 10- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- 11- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना के अन्तर्गत नवनिर्माण की संलग्न सूची में उल्लिखित 19 कार्यो हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1318-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यो हेतु व्यवस्था (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(भाष्कर पाण्डेय)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-78/2020/335(1)/23-14-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
- 3- मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल ।
- 4- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07.07.2020 के संदर्भ में ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लोक निर्माण अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-755/23-10-20-10(ब)/2016टी0सी0, दिनांक 08.07.2020 के संदर्भ में ।
- 7- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।
- 8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
- 9- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0, लखनऊ ।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(भाष्कर पाण्डेय)

उप सचिव।

'Kk ulnšk I ũ; k&78@2020@335@rbŀ &14&2020&19%tujy%@2017VŀŀI ŀŀ] fnul& 31 tyŀŀ, 2020 dk I yŀud

ŀkujŀ'k yŀŀk : 0 eŀ

Øŀ I ŀ	[k.M dk ule	dk;Z dk ule	'Kk ulnšk I ũ; k	yŀŀbZ ŀŀŀŀŀ ea	Lohŀr yŀxr	31-03-2020 rd vŀŀŀu @ 0; ;	01-04-2020 dŀs vo'ŀŀk	{ŀs- I s iŀr eŀk	foRrh; o'ŀ 2020&21 ea vŀŀŀr /kujŀ'k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ikŀ[kŀ] eŀŀŀk	vdcjij 'kŀx<+ ekŀ I s tŀkoyh ekŀ dk uo fueŀŀk dk; A	136@2019@230@23&14&2019&04vŀŀft0; kŀ@2018] fnŀ&10-03-2019	0.47	34.10	21.69	12.41	12.40	12.40
2	fuŀ[kŀ] Hkou xŀŀ [kiŀj	fo/kku I Hkŀ dŀŀei; jxat ds vŀrŀŀr ohj cgŀŀŀj fl ŀj jŀt dh; egŀfo ky; fi p ekŀ I s dŀbŀjh Vŀŀŀ I ŀ dŀ ekŀ	134@2019@230@23&14&2019&05vŀŀft0; kŀ@2018] fnŀ&10-03-2019	0.85	56.73	25.03	31.70	31.70	26.00
3	ikŀ[kŀ] xŀŀŀŀŀ uxj	uayk dŀpu ŀŀŀŀŀŀ I s Qyŀŀŀ rd ekŀ	98@2019@207@rbŀ &14&2019&02vŀŀft0; kŀ@2018] fnŀ&08-03-2019	1.20	66.77	25.43	41.35	14.47	14.47
4	ikŀ[kŀ] xŀŀŀŀŀ uxj	xte I ekŀ/kiŀj yŀŀŀŀŀ ek; pk ŀŀŀ ekŀ I s vŀŀ; ciŀj jŀyos QŀVd I s I ekŀ/kiŀj ŀŀŀ ekŀ ij uo fueŀŀk dk dk; A	98@2019@207@rbŀ &14&2019&02vŀŀft0; kŀ@2018] fnŀ&08-03-2019	0.85	57.21	24.08	33.14	11.60	11.60
5	fuŀ[kŀ&2] cyŀŀŀ'kŀj	ŀŀŀŀŀ h&Hkxokuiŀj ekŀ I s I yŀŀŀ I ŀi dŀ ekŀ dk uofueŀŀkA	98@2019@207@rbŀ &14&2019&02vŀŀft0; kŀ@2018] fnŀ&08-03-2019	1.10	52.80	24.26	28.54	20.00	20.00
6	fuŀ[kŀ&2] cyŀŀŀ'kŀj	ŀŀ ŀŀŀŀŀŀ I ŀi dŀ ekŀ	377@2016@30vŀŀft0; kŀ@rbŀ &14&2016&30vŀŀ@16] fnul&22-11-2016	1.40	58.39	46.07	12.32	6.74	6.74
7	ikŀ[kŀ] gŀŀŀŀŀ	nŀr; kuk I s /kuiŀŀj dk 'ŀŀŀ Hkŀx ekŀ dk uo fueŀŀk dk dk; A	07@2020@65@rbŀ &14&2020&01vŀŀft0; kŀ@2019] fnul&06-02-2020	0.54	30.44	11.61	18.83	18.83	18.83
8	ikŀ[kŀ] gŀŀŀŀŀ	xte ekŀ/kiŀj I s iŀŀŀŀŀ Lŀŀŀ I s ŀVxŀŀ I ŀi dŀ ekŀ ds 'ŀŀŀ Hkŀx dk uofueŀŀk dk dk; A	07@2020@65@rbŀ &14&2020&01vŀŀft0; kŀ@2019] fnul&06-02-2020	0.45	27.03	11.61	15.42	15.42	15.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9	ik0[k0 gkiM+	xte rrkij xq dly Lchy ds ihNs l s l nhi dh QDVh gksr gq l Yrkuij l Ei dZ ekxZ dk uofuekZ dk dk; A	07@2020@65 @rbI &14&2 020&01vkOfT 0; k0@2019] fnukal&06-02- 2020	0.60	33.59	11.62	21.97	21.97	21.97
10	ik0[k0 l hrkij	cfj; kjij l s gupku eflnj rd l Ei dZ ekxA	09@2020@67 @rbI &14&2 020&01vkOfT 0; k0@2019] fnukal&06-02- 2020	0.50	32.56	14.57	17.99	17.99	17.99
11	ik0[k0 l hrkij	fMgqk xte l s freMk xte rd l Ei dZ ekxA	09@2020@67 @rbI &14&2 020&01vkOfT 0; k0@2019] fnukal&06-02- 2020	0.60	39.15	17.56	21.59	21.59	21.59
12	ik0[k0 xk'rec0 uxj	Mh0, l 01 h0 ekxZ l s y [kukoyh ekxZ dk uo fuekZk dk; A	12@2020@96 @rbI &14&2 020&05 vkOfT0; k0@2 019] fnukal&19-02- 2020	1.00	54.12	0.65	53.47	10.00	10.00
13	fu0[k0&2 v; k0; k	ijjs ekshyky l Ei dZ ekxZ dk uofuekZk dk; A	14@2020@11 0@rbI &14& 2020&06 vkOfT0; k0@1 9] fnukal&24- 02-2020	0.52	34.55	2.37	32.18	10.00	10.00
14	ik0[k0 eFljk	olnkou NVhdjk jk/kkclqM ekxZ l s ckVh l Ei dZ ekxZ dk 'kSk Hkx dk uo fuekZk dk; Z	17@2020@12 8@rbI &14& 2020&10 vkOfT0; k0@1 9] fnukal&03- 03-2020	0.45	22.98	1.65	21.33	20.00	20.00
15	ik0[k0 cyUn'kgj	t l ukoyh ekxZ l s dnpik dh e-\$k l Ei dZ ekxZ dk uo fuekZk dk; A	'kkl uknsk l 0&20 @2020@126 @rbI &14&2020&04 vkOfT0; k0@1 9 Jfn0 03-03- 2020A	0.43	24.94	0.66	24.28	23.70	23.70
16	ik0[k0 cyUn'kgj	y[kkoVh Hk0 jksh y[koVh ekxZ l s ckhjk l Ei dZ ekxZ dk uo fuekZk dk dk; A	'kkl uknsk l 0&20 @2020@126 @rbI &14&2020&04 vkOfT0; k0@1 9 Jfn0 03-03- 2020A	0.35	20.97	0.55	20.42	20.10	20.10
17	ik0[k0 dlukst	ftyk ty vulsh dlukst l s ify; k vkhQI] v/h(kd vkol rd ekxZ dk uofuekZk dk; A	'kkl uknsk l 0&20 @2020@126 @rbI &14&2020&04 vkOfT0; k0@1 9 Jfn0 03-03- 2020A	0.22	22.13	1.53	20.60	20.60	20.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18	i kO[kO l Hky	ck?kA [kMk ekxZ l s uxfy; k l EIdZ ekxA	'kkI uknsk l 0&20 @2020@126 @rbl &14&2020&04 vkOfT0; k@1 9 Jfn0 03-03- 2020A	0.50	28.64	12.67	15.97	15.97	15.97
19	i kO[kO l Hky	[kkI i g vkCjh ekxZ l s erkcyh i VVh tXxw l EIdZ ekxA	'kkI uknsk l 0&20 @2020@126 @rbl &14&2020&04 vkOfT0; k@1 9 Jfn0 03-03- 2020A	0.55	28.11	10.84	17.27	17.27	17.27
			;kx	12.58	725.21	264.45	460.78	330.35	324.65

(भाष्कर पाण्डेय)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।